

No. HQ/PIO/RTI/156/13

Date: 23.07.2013

Sh. Lalman,

R/O Gadrianpurva Mauja

Pitrapur, teh. Akbarpur

Disstt. Kanpur Dehat

UP

विशय:-सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के संबंध में।

संदर्भ:- आपका दिनांक 16.06.13 का आवेदन ।

उपरोक्त के संबंध में मदवार जवाब निम्नलिखित है:-

मद सं0.1- आपके द्वारा वर्णित गाटाओं से कितने भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसका विवरण CPM/Kanpur कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है -

क्रं सं0	ग्राम	गाटा सं0	परियोजना में प्रभावित कुल रकबा हे0 में
1-	पिटुरापुर	37	0.1020
2-		38	0.0050
3-		39	0.0050
4-		78	0.6250
5-		33	0.2250
6-		36	0.2560
7-		75	0.3480
कुल रकबा			1.5660


DESPATCH

मद सं0 2— आपको यह अवगत कराया जाता है कि ग्राम पिटुरापुर का 20ए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 03.11.2010, 20ई का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 22.06.2011 एवं अभिनिर्णय दिनांक 05.09.2011 को घोषित किया गया है।

मद सं0 3— आपको यह अवगत कराया जाता है कि ग्राम पिटुरापुर में अधिग्रहीत भूमि कृषि योग्य है अतः कृषि योग्य भूमि के मुआवजे की दर रू0 8,02,750.00 प्रति हे0 से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। जिसका संपूर्ण विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अवार्ड में दिया गया है। (संलग्नक-1)

मद सं0 4— आपको यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी का परियोजना में प्रभावित कोई भी गाटा आबादी के समीप का नहीं है। अतः आबादी के समीप के मुआवजा निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मद सं0 5— ग्राम पिटुरापुर के अभिनिर्णय की प्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है (संलग्नक-1)।



(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

प्रतिलिपि :- CPM/Kanpur

